आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

करण संख्या 155/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

क ऑफ महाराष्ट्र, प्लॉट नम्बर ई–2, भूतल के.जे. सिटी टॉवर, अशोक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर जरिये ाधिकृत अधिकारी।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्री कृष्ण मोहन खण्डेलवाल पुत्र राधामोहन खण्डेलवाल

   पता :– 203, टिक्कडमल का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर।

   एवं यूनिट/फ्लेट नम्बर 1414, चौदहवी मंजिल, जैनसिस, प्लाट नम्बर जी–2, कनक वृन्दावन स्कीम, सिरसी रोड, जयपुर।

2. श्रीमती सीमा खण्डेलवाल पत्नी श्री कृष्ण मोहन खण्डेलवाल

   पता :– 203, टिक्कडमल का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांकः 07.12.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.02.2013 को भुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री कृष्ण मोहन खण्डेलवाल पुत्र श्री राधामोहन खण्डेलवाल के स्वामित्व की सम्पति आवासीय अपार्टमेन्ट जेनेसिस स्थित प्लाट नम्बर जी–2, कनक वृन्दावन स्कीम सिरसी रोड, जयपुर की चौदहवी मंजिल पर स्थित यूनिट/फ्लेट नम्बर 1414 मय सम्पूर्ण स्वत्वधिकारों बिना हक छत बालाई, मय मुश्तर्का अधिकारों एवं जमीन के अविभाजित समानुपातिक हिस्से एवं समस्त कॉमन सुविधाओं (लॉबीज, सीढिया, पैसेज, कॉरीडोर, पार्किंग लिफ्ट इत्यादि) सहित (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार बिल्डअप एरिया 452 वर्गफीट को बन्धक कर 12;80,000/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.02.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना

जयपुर

पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा, किन्तु आगामी पेशी पर अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 12,80,000/–रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 10,88,389/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 08.02.2018 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री कृष्ण मोहन खण्डेलवाल पुत्र श्री राधामोहन खण्डेलवाल के स्वामित्व की सम्पति आवासीय अपार्टमेन्ट जेनेसिस स्थित प्लाट नम्बर जी–2, कनक वृन्दावन स्कीम सिरसी रोड, जयपुर की चौदहवी मंजिल पर स्थित यूनिट/फ्लेट नम्बर 1414 मय सम्पूर्ण स्वत्वधिकारों बिना हक छत बालाई, मय मुश्तर्का अधिकारों एवं जमीन के अविभाजित समानुपातिक हिस्से एवं समस्त कॉमन सुविधाओं (लॉबीज, सीढिया, पैसेज, कॉरीडोर, पार्किंग लिफ्ट इत्यादि) सहित (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार बिल्डअप एरिया 452 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पावन्द करे। आदेश की प्रति हस्व कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 07.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

7/12/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर